HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD ADMINISTRATIVE 'G' SECTION NOTIFICATION

No. 74/2012/Admin. 'G' Dated : Allahabad; 22 February, 2012

The Allahabad High Court (Right to Information) (Amendment) Rules, 2012

In exercise of powers conferred by section 28 of the Right to Information Act, 2005, the Chief Justice, High Court of Judicature at Allahabad, hereby makes the following amendment in Allahabad High Court (Right to Information) Rules, 2006 to carry out the provisions of the Act.

1. Short title and commencement -

- (1) These rules may be called the Allahabad High Court (Right to Information) (Amendment) Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of its notification in the official Gazette.

2. Definitions -

(1) Rules means the Allahabad High Court (Right to Information) Rules, 2006.

3. Amendment in rule 4 of the rules -

Rule 4 of the rules shall be amended as follows :-

Existing Rule	Amended Rule
by cash or draft or pay order of Rs. 500/- drawn in favour of the Registrar General, High Court, Allahabad, or the District Judge of the concerned district Court as	1.Each application shall be accompanied by cash or draft or pay order of Rs. 250/ - drawn in favour of the Registrar General, High Court, Allahabad, or the District Judge of the concerned district Court as
the case might be.	the case might be.

By Order of the Court Sd.

(D. K. Singh) I/c Registrar General



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 मई, 2012 बैशाख 27, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय अनुमाग—। (उच्च न्यायालय)

संख्या 875/सात-न्याय-1-12-143/2006 लखनऊ, 17 मई, 2012

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की घारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, मा0 मुख्य न्यायाचीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये इलाहाबाद मा0 उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियमावली, 2006 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं :--

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) (संशोधन) नियमावली, 2012

्र—(1) यह नियमावली इलाहाबाद, मां० उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्म (संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

नेयमावली, 2012 कहीं जायेगी। (2) यह सरकारी गजट में इसकी अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत होगी।

2—(1) नियमावली का तात्पर्य इलाहाबाद, मा० उच्च न्यायालय (सूचना का परिभाषायें अधिकार) नियमावली, 2006 से हैं।

3—नियमावली के नियम 4 को निम्नवत् संशोधित किया जायेगा :--

नियमावली के नियम 4 में संशोधन

<u>स्तम्म–1</u> विद्यमान नियम

प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रुठ 500/—नकद या झफ्ट या भुगतान आदेश संलग्न होगा जो यथास्थिति, महानिबन्धक, माठ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या सम्बन्धित जिला न्यायालय के जिला जज के पक्ष में आहरित होगा।

स्तम्म<u>-2</u> संशोधित नियम

1-प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रु0 250/-नकद या ड्रापट या भुगतान आदेश संलग्न होगा जो यथास्थिति महानिबन्धक, मांठ उच्च न्यायालय इलाहाबाद या सम्बन्धित जिला न्यायालय के जिला जज के पक्ष में आहरित होगा।

आज्ञा से, जकी उल्लाह खां, प्रमुख सविव।